रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 134 नई दिल्ली, सोमवार, मई 1, 1972/वैशाख 11, 1894
No. 134] NEW DELHI, MONDAY, MAY 1, 1972/VAISAKHA 11, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April 1972

G.S.R. 269(E).—In exercise of the powers conferred by the first and second provisos to sub-section (2) of section 1 of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963), the Central Government hereby appoints the 3rd day of May, 1972, as the date on which all the provisions of the said Act, other than those which have already come into force in the Union Territory of Mizoram, shall, so far as they are applicable, come into force in that Union Territory.

[No. F.11/5/72-SR.]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह मन्त्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1972

सा० का० नि० 269(अ).—संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 1 की उपधारा (2) के प्रथम और द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, तारीख 3 मई, 1972 को उस तारीख के रूप में एतदद्वारा नियत करती है, जिस को उक्त अधिनियम के, उन उपबंधों से भिन्न जो मिजो राम संघ राज्यक्षेत्र में पहले ही प्रवृत्त हो गए हैं, सभी उपबंध जहां, तक वे लागू हों उस संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त होंगे ।

[सं० फा० 11/5/72-गृ० पु०]

के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972